राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

पत्रांकः प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप–2/2020/ जयपुर, दिनांकः 22/10/2020

आदेश

विषयः– राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर Post COVID Clinic एवं Post COVID Ward/ICU संचालित किए जाने के क्रम में।

जैसा कि विदित है COVID-19 से पीड़ित Asymptomatic Patients को Home Isolation/COVID Care Center तथा Symptomatic Patients को Dedicated COVID Hospitals/COVID Hospitals में उपचार दिया जाता है (अथवा Observation में रखा जाता है)। Recent Trends से यह ज्ञात होता है कि कतिपय COVID से Recovered Patients को विभिन्न प्रकार के Stress Symptoms आने वाले कुछ समय तक रह सकते हैं। अतः प्रत्येक जिला मुख्यालय पर COVID-19 से ठीक होकर Discharge हुए Patients की जाँच एवं Counselling हेतु Post-COVID Clinics, तथा Post COVID Symptoms से ग्रसित Patients के इलाज एवं Rehabilitation हेतु Post COVID Ward/ICU की स्थापना किया जाना आवश्यक है।

Recovered Patients से Post COVID समस्याऐं दृष्टिगत हुई हैं वो मुख्यतः निम्न प्रकार की हैः–

- **i.** Respiratory Distress
- **ii.** Mental Trauma of Stress
- **iii.** Transitory Diabetes
- **iv.** Cardiac Problem
- **v.** Kidney Problem
- **vi.** Pancrease Problem
- **vii.** Body Fatigue etc.

प्रथमतया यह आवश्यक है कि Home Isolation अथवा COVID चिकित्सालय से Discharge करते समय Recovered COVID Patients एवं उनके रिश्तेदारों को यह अवगत कराया जाए कि उपरोक्तानुसार अथवा अन्य कोई चिकित्सकीय समस्या होने पर वे तत्काल Check up के लिए Post-Covid Clinic पर आए अथवा परामर्श हेतु मुख्यमंत्री Helpline 181 पर Call करें।

Post-COVID Treatment के विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं तथा इस हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार चिकित्सकीय व्यवस्था की जानी हैः–

1) Post-COVID Clinic–

a) जिले के COVID Hospital के एक पृथक हिस्से में OPD का संचालन किया जाएगा। साथ ही यदि जिला मुख्यालय पर Dedicated Non-covid Hospital है उनमें भी पृथक से Post-COVID Clinic स्थापित किया जाए।

b) Post-Covid Clinic OPD के रुप में प्रातः 9.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक संचालित रहेगा तथा इसमें हर समय एक MD (Medicine), एक Counsellor/Psychologist, एक आयुष चिकित्सक (जिसे Respiratory Exercise तथा योग के माध्यम से चिकित्सा करने का ज्ञान हो) उपलब्ध रहेंगे।

c) Post-Covid Clinic में आने वाले COVID Recovered Patients के प्रमुख Vitals जैसे Temperature BP, Respiratory Rate, Pulse, Oxygen Level इत्यादि Record किये जाएंगे। इस हेतु आवश्यक उपकरण Clinic में ही उपलब्ध रहे।

d) यदि COVID Recovered Patients Rehabilition And Counselling के लिए आवश्यक सावधानी बताने से कार्य समपन्न होता हो तो भी COVID Care Incharge के द्वारा उस व्यक्ति को 3 दिन बाद follow up के लिए Post Covid Clinic में बुलाया जाएगा। यदि उक्त व्यक्ति को Post COVID ailments के Symptoms दृष्टिगत होते है तो Post COVID Clinic के Incharge के द्वारा अन्य Diagonostic Tests सुनिश्चित कर पुनः स्वयं अथवा विषय विशेषज्ञ से COVID Recovered Patients का परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

e) आवश्यकतानुसार Post-COVID Clinic में Counselling, Testing, Exercise & Nutrition की जानकारी, देने के साथ–साथ आवश्यकता होने पर तत्काल प्रभाव से Post covid Ward/ICU में भर्ती करवाया जा सकेगा।

2) Post COVID Ward/ICU–

a) प्रत्येक जिला मुख्यालय पर Non COVID Hospital अथवा एक ही चिकित्सालय में COVID और Non-covid Treatment होने की स्थिति में, आवश्यकतानुसार पृथक से Ward/ICU अथवा Common Ward/ICU में पृथक हिस्से में Beds चिन्हित किये जाएंगे।

b) Post COVID Ward/ICU में चिकित्सा हेतु Multi-disciplinary Specialist को नियुक्त किया जाएगा। जैसा कि उल्लेखित है कि Post COVID Complication, Diagnosis एवं चिकित्सा के लिए COVID के दौरान चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों के साथ Medicine, Anasthesia, Cardiac, Respiratory, Endocrine, Psychiatry इत्यादि Specialities की समय–समय पर चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, अतः Multi-disciplinary Team का गठन सुनिश्चित कर 24X7 सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

c) Post COVID Ward/ICU में भर्ती का निर्णय COVID/Non-covid Clinic Hospital की Team के साथ उस समय उपलब्ध COVID/Duty Doctor के द्वारा भी किया जा सकेगा।

3) Post COVID उपचार हेतु मुख्यमंत्री 181 Helpline का उपयोग–

a) Counselling हेतु मुख्यमंत्री 181 helpline का उपयोग covid hospital में bed दिलवाने एवं home isolation में counselling करवाने की प्रक्रिया की तरह ही किया जाएगा।

b) समस्त प्रदेश में COVID-19 से recovered patients post covid consultation, stress & treatment से संबंधित counselling एवं परामर्श हेतु 181 पर कॉल कर सकेंगे,

इस प्रकार की कॉल प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय परामर्श केन्द्र से उचित परामर्श दिया जाएगा अथवा जिला स्तरीय Post-COVID Clinic पर संपर्क करने की सलाह दी जाएगी।

c) Post COVID Patient के द्वारा मुख्यमंत्री 181 Helpline पर Call कर के स्वयं चिकित्सकीय दृष्टि से अस्वस्थ होने की जानकारी दिये जाने पर समस्या की जानकारी जिले के COVID Hospital में स्थापित War Room को उपलब्ध करवाई जाएगी, जहाँ पर तत्काल Ambulance/Referral Transport से Ward/ICU की व्यवस्था करवाते हुए उक्त व्यक्ति को Post COVID Ward/ ICU में भर्ती करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

Post COVID Clinic And Post COVID Ward/ICU के स्थापना की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा संयुक्त रुप से तत्काल सुनिश्चित करें। इसके व्यापक प्रचार प्रसार की भी समुचित व्यवस्था सभी जिलों में किया जाना सुनिश्चित करे।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
7. मिशन निदेशक, एन. एच. एम., राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
10. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान
14. निजी/रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव